(C)

# FORM NO. III

2021/87

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बडीसादडी

महावीर बनाम गणेश लाल

किस्म मुकद्दमा 128 RLAct नं 63/21 सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही पर इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9/6/21 | प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा ....बोहेडा.... ग्राम ....बोहेडा.... की आ.न. 1639, 1640, 1649, 1766, ....की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे।<br>प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 1500/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।<br>पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बडीसादडी<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़ | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.06.24 14:12:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner